


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

इन्ट्रीगल अरबन कोपरेटिव बैंक लि. बनाम राजेन्द्र चौधरी

प्रकरण संख्या 190/2017 ( धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट )

| दिनांक आज्ञा<br>कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप  | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|-------------|
| 06.10.2022                | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्रार्थी बैंक की ओर से धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होकर अधूरा है ।</p> <p>अतः धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><br/>जिला मजिस्ट्रेट<br/>(कलक्टर) जयपुर</p> |             |